रामाराव व अन्य

बनाम

एम.जी. महेश्वर राव व अन्य

27 अगस्त, 2007

एच. के. सेमा एवम् पी. के. बालासुब्रमण्यम् (न्यायमूर्तिगण)

सेवा कानून- प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कर्मचारियों की पदोन्नति- पदोन्नति के लिए स्नातक की योग्यता निर्धारित करने वाले नियम- आशुलिपिक और मंत्रालयिक संवर्ग पदोन्नति पद के लिए फीडर संवर्ग है- आशुलिपिक संवर्ग द्वारा योग्यता के निर्धारण को चुनौती देने वाला आवेदन-न्यायिक पक्ष पर न्यायाधिकरण योग्यता में बदलाव कर रहा है- प्रशासनिक पक्ष पर ट्रिब्यूनल आशुलिपिक संवर्ग से कर्मचारियों की पदौन्नत करना, ट्रिब्यूनल के न्यायिक और साथ ही प्रशासनिक निर्णय को चुनौती देने वाले ट्रिब्यूनल के समक्ष मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा आवेदन-

आवेदन खारिज-रिट याचिका-उच्च न्यायालय ने गैर स्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति को रद्द कर दिया और स्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया-अपील में अभिनिर्धारित किया गया है कि पदोन्नति के लिए योग्यता निर्धारित करने में कुछ भी

अनुचित नहीं है-ट्रिब्यूनल के आदेश ने निर्धारित योग्यता को बदल दिया है, नियमों के अनुसार यह पुष्टि के योग्य नहीं था, ट्रिब्यूनल ने ऐसा करने में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया था, आशुलिपिकों की पूरी पदोन्नति रद्द की जाती है। दोनों संवर्गो की पदोन्नति के लिए नियमानुसार नए सिरे से कर्मचारियों की पदोन्नति की कार्यवाही करना उचित प्रक्रिया रहेगी।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985-एस 19 न्यायाधिकरण के आदेश को धारा 19 के तहत नए आवेदन द्वारा चुनौती दी गई-प्रभावित व्यक्तियों को पिछले आवेदन में पक्षकार नहीं बनाया गया- यह अभिनिर्धारित किया गया कि जिनके पास सुने जाने योग्य योग्यता है, वह आवेदन कर सकते हैं।

कनार्टक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में अपीलकर्ता-आशुलिपिकों ने भर्ती नियमों में जूनियर जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता के रूप में डिग्री और परीक्षण की परीक्षा को चुनौती देते हुए ट्रिब्यूनल के समक्ष एक आवेदन दायर किया। जूनियर जजमेंट राइटर के पद पर पदोन्नति के लिए सहायक(मंत्रालयिक संवर्ग) का पद भी एक फीडर पद था। आवेदन में सहायकों को पक्षकार नहीं बनाया गया। ट्रिब्यूनल ने आवेदनों को स्वीकृत करते हुए निर्धारित योग्यताएं बदल दी। इसके बाद,

उपाध्यक्ष, जिन्होनें बैंच की अध्यक्षता भी की थी, उनके द्वारा निर्धारित की गई योग्यताओं के आधार पर पदोन्नति की अग्रिम कार्यवाही की गई।

न्यायाधिकरण के निर्णय से सहायकों ने आशुलिपिकों के पदोन्नति के अधिकरण के निर्णय से व्यथित होकर धारा 19 के तहत एक नवीन आवेदन दिया, न्यायाधिकरण ने आवेदन को खारिज कर दिया,उन्होनें उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएॅं दायर की। उच्च न्यायालय ने स्वीकृत रिट याचिकाओं में यह अभिनिर्धारित किया था कि न्यायाधिकरण को पदोन्नति के लिए योग्यताओं में परिवर्तन करने के लिए कोई क्षेत्राधिकार नहीं था और पदोन्नति दूषित थी क्योंकि यह नियमों में अनाधिकृत हस्तक्षेप के आधार पर की गई थी हॉलाकि उच्च न्यायालय ने केवल गैरस्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति को अपास्त किया और स्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया इसलिए गैर स्नातक आशुलिपिकों एवं सहायकों द्वारा वर्तमान अपील दायर की गयी।

आशुलिपिकों द्वारा तर्क दिया गया कि सहायकों को अधिनियम की धारा 19 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उन्होनें न्यायाधिकरण द्वारा पारित पूर्ववर्ती आदेश के संशोधन के लिए आवेदन नहीं किया था तथा उच्च न्यायालय को प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ कार्यवाही करने का कोई क्षेत्राधिकार

नहीं था क्योंकि ऐसा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की तारीख के बाद प्रदान किया गया था।

न्यायालय द्वारा आशुलिपिकों द्वारा दायर अपीलों को खारिज किया गया और सहायकों द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया गया और अभिनिर्धारित किया गया-

1.1 सहायकों के पास प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत प्रार्थना पत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार था और उनके पूर्व में किए गए फैसले पर पुनः विचार करने का जो कि उन्हें बिना नोटिस दिए पारित किए गए थे या जो विधि के अनुरूप नहीं थे या जो उचित नहीं थे। यह नहीं कहा जा सकता कि सहायक अपनी शिकायत लेकर प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास नहीं गए थे और न्यायाधिकरण उनकी शिकायत पर विचार नहीं कर सका या उसके पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया। (पैरा 5)

के. अजीत बाबू और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (1997), सुपरा 3 एस. सी. आर. 56, पर भरोसा किया।

1.2 तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाद में मान्यता मिली जो स्थिति को नहीं बदल सकता क्यों कि जब उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया, तो उसके पास ऐसा करने का क्षेत्राधिकार था और उसके पास यह विचार करने का भी क्षेत्राधिकार था कि

इसका प्रभाव क्या रहेगा, पहले का आदेश या उससे पहले की कार्यवाही और क्या पहले का आदेश कानूनी और उचित था। (पैरा 5)

1.3 उच्च न्यायालय ने सही अभिनिर्धारित किया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06.07.1994 को जो आदेश पारित किया, तो उसने अपने स्वयं की योग्यता निर्धारित करने में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम किया था तथा उसके अनुसार जो अनुचित प्रावधान थे, उन्हें रद्द कर दिए गए थे। पदोन्नति की योग्यताएॅं निर्धारित करने में कुछ भी उचित नहीं है, जैसा कि इस मामले में किया था और जो उच्च न्यायालय द्वारा सही पाया गया था, भले ही सुसंगत नियम निरस्त किए जाने योग्य थे, यह प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य नहीं था कि जो उसे उचित लगे, उन्हें पुनः लागू करें। एक बार जब यह निष्कर्ष आ गया और जैसा कि उच्च न्यायालय ने पाया है, तो पदोन्नति के लिए प्रशासनिक नियमों में कोई अमान्यता नहीं पाई जा सकी, इसका स्पष्ट परिणाम यह होगा कि आशुलिपिकों की सभी पदोन्नतियॉ अवैध हो गई। वास्तव में उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में प्रशासनिक पहलुओं पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहूंचा कि दिनांक 06.07.1994 का निर्णय सम्पोषण योग्य नहीं है।

जे. रंगास्वामी बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार व अन्य,(1990) एस.सी. 535 सन्दर्भित

1.4 प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया दिनांक 06.07.1994 का निर्णय पूर्ण रूप से सम्पोषण योग्य नहीं है। पदोन्नति का प्रश्न पुराने नियमों के आधार पर होना चाहिए जैसा कि ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप से पूर्व मौजूद थे। (पेरा 9)

2 न्याय के हितों की रक्षा तभी होगी जब प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अपने न्यायिक पक्ष में बनाए गए नियमों के आधार पर की गई आशुलिपिकों की सम्पूर्ण पदोन्नति को रद्द कर दिया जाएगा। (पेरा 11)

3 उच्च न्यायालय के आदेश के मद्देनजर जिन आशुलिपिकों को पदौन्नत किया गया था और जिनकी पदोन्नति अब रद्द कर दी गई है, उन्हें पदोन्नति पदों पर प्राप्त उच्च वेतन और भत्ते वापिस करने के दण्ड की आवश्यक्ता नहीं है। यहॉ तक कि सभी पदोन्नतियों को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए जाते हैं तो इस आधार पर कि आशुलिपिकों की पदोन्नति रद्द की गई है, उनके पदोन्नति कार्यकलापों से कम करने की अवधि के संबंध में भुगतान किए गए वेतन से कोई वसूली नहीं की जाएगी। (पेरा 12)

रिट याचिका संख्या 16143-16146/1997(एस-केएटी)

बेंगलुरू स्थित कनार्टक उच्च न्यायालय के 2003 की संख्या 7478-74811 में दिनांक 18.06.2002 के अंतिम निर्णय और आदेश के विरूद्व

अपीलकर्ताओं के लिए राजू रामेहंन्द्रन, नवीन आर. नाथ, अनिता शेनॉय, ललित मोहनी भट्ट व अन्य हेतु अरोड़ा

उत्तरदाताओं के लिए सुश्री किरण सूरी।

राज्य के लिए संजय आर. हेगडें।

न्यायमूर्ति पी. के. बालासुब्रमण्यन द्वारा न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

इस अपील में उच्च न्यायालय ने कर्नाटक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के मंत्रालयिक संवर्ग के कर्मचारियों द्वारा उसके समक्ष दायर रिट याचिका को आंशिक रूप से अनुमति दी गई। 1997 की रिट याचिका में प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई। रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से व्यथित होकर दोनों पक्ष इस अपील के साथ हमारे समक्ष है। 2003 की सिविल अपील संख्या 7474-7477 आशुलिपिक संवर्ग से संबंधित लोगों द्वारा दायर की गई और 2003 की सिविल अपील संख्या 7478-7481 मंत्रालयिक संवर्ग द्वारा दायर की गई।

सुविधा की दृष्टि से इसके बाद पार्टियों को आशुलिपिक और सहायक के रूप में सम्बोधित किया जाएगा।

कनार्टक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का गठन दिनांक 06.10.1986 को किया गया। कर्नाटक सरकार ने केडर संख्या को मंजूरी दी और केडर व भर्ती नियम 1986 बनाए। आशुलिपिकों की नियुक्तियॉ 1988 में की गई। दिनांक 31.05.1993 को सरकार ने भर्ती नियम प्रकाशित किए। हॉलाकि आशुलिपिकों ने सरकार को अभ्यावेदन किया लेकिन उनके अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद उन्होनें प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष 1993 के 2250-2252 और 1998 के 2253-2258 आवेदन संख्या दायर की, जिसमें नियमों में जूनियर जज के पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता के रूप में डिग्री और परीक्षण के निर्धारण को चुनौती दी गयी। यह देखा गया कि इस कार्यवाही से प्रभावित होने वालें सहायकों या किसी प्रभावित को कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया। चँूकि पदोन्नति के लिए योग्यताओं के नियमों के साथ अनाधिकृत हस्तक्षेप के आधार पर पदोन्नतियॉ की गयी, ऐसी पदोन्नतियॉ दूषित थी।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आवेदनों को स्वीकार कर लिया और नियमों को आंशिक रूप से रद्द कर दिया। अनिवार्य रूप से, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने जो किया वह निर्धारित उच्च योग्यताओं को हटाकर आशुलिपिकों के संवर्ग में पदोन्नति के लिए प्रदान की गयी योग्यताओं को बदलना था। नियमों को निरस्त करने का कार्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली एक पीठ द्वारा किया गया था। इसके

बाद उपाध्यक्ष ने न्यायिक पक्ष में उनके द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर आशुलिपिकों को पदोन्नति देने की कार्यवाही की। इस प्रकार दी गयी पदोन्नति से सहायकों को वेदना हुई, इसलिए उन्होेनें 1995 के आवेदन संख्या 3585-3592 और संबंधित आवेदनों को प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी, जिसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 06.07.1994 के निर्णय और उन आवेदनों में उत्तरदाताओं, पदौन्नत आशुलिपिकों को दी गयी पदोन्नति को चुनौती दी गयी। आवेदनों का विभिन्न आधारों पर विरोध किया गया। आदेश दिनांक 21.04.1997 द्वारा, प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने आवेदनों को खारिज कर दिया। इसे सहायकों द्वारा पहले से सन्दर्भित रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गयी थी। उच्च न्यायालय ने, अपील के तहत निर्णय द्वारा, आंशिक रूप से रिट याचिकाओं को यह कहते हुए अनुमति दी कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास पदोन्नति के लिए योग्यता में बदलाव करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जैसा कि उसने किया था चँूकि पदोन्नति के लिए योग्यताओं के नियमों के साथ अनाधिकृत हस्तक्षेप के आधार पर पदोन्नति की गयी, ऐसी पदोन्नति दूषित थी। तार्किक अनुसरण के रूप में, सभी पदोन्नतियों को रद्द करने के बजाए, उच्च न्यायालय ने केवल गैर स्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति को रद्द कर दिया और स्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति मंे हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया। गैर स्नातक आशुलिपिक, प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को रद्द

करने और गैर स्नातकों की पदोन्नति को रद्द करने से व्यथित है। सहायक इस बात से व्यथित है कि वे उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय को प्रभावी बनाने में विफलता और स्नातक आशुलिपिकों सहित सभी आशुलिपिकों को दी गयी अवैध पदोन्नति को रद्द नहीं किया गया। अपीलों का यह सेट हमारे सामने हैं।

4. तार्किक रूप से पहले उच्च न्यायालय के फैसलें के खिलाफ आशुलिपिकों द्वारा दायर अपील निर्धारित करना उचित होगा। यदि हम, उसमें अपीलकर्ताओं के तर्कों से सहमत होते हैं, तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने वालें उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करना होगा और उस स्थिति मंे आदेश को बहाल करने के अलावा किसी अन्य आदेश की आवश्यक्ता नहीं होगी। अगर हमें, सहायकों द्वारा दायर की गयी अपीलों को खारिज करना था और मुख्य पहलू पर उच्च न्यायालय के फैसलें को बरकरार रखते है, तो हमें सहायकों की शिकायत पर विचार करने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय की अपने ही निर्णय के परिणामस्वरूप गैर स्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति को अपास्त करना था क्योंकि वे पदोन्नति अवैध थी।

5. आशुलिपिकों की ओर से यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण दिनांक 06.07.1994 के आदेश को रद्द करने में गलती की थी, जबकि सहायकों ने उस आदेश की समीक्षा या संशोधन

करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। यह तर्क दिया गया कि एल. चन्द्रकुमार बनाम भारत संघ व अन्य 1997(3) एस.सी.सी. 261 में दिए गए निर्णय के पश्चात उच्च न्यायालय को प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले के विरूद्व कार्यवाही पर विचार करने का क्षेत्राधिकार मिल गया था और जब प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06.07.1994 को आदेश पारित किया गया, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकती थी और उस स्थिति में, बाद की रिट याचिका में, उच्च न्यायालय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 06.07.1994 के आदेश को रद्द करने में सक्षम नहीं था। यह भी तर्क दिया गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 19 के तहत सहायकों द्वारा दायर किसी भी बाद के आवेदन में, प्रशासनिक न्यायाधिकरण उस निर्णय की शुद्वता या अन्य बिन्दुओं पर विचार नहीं कर सकता था, जो उसने पहले दिया था और जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा बाद के आवेदन को खारिज करने को चुनौती देना अंतिम हो गया था, आशुलिपिकों द्वारा दायर आवेदन पर दिनांक 6.7.1994 को दिए गए पहले के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने उठाए गए इस विवाद को यह बताते हुए खारिज किया कि भले ही सहायक एक अलग संवर्ग के हैं, क्योंकि पदोन्नति पदों के लिए दो धाराओं का संगम था, इसलिए सहायकों के पास धारा 19 के तहत आवेदन दायर करने का अधिकार था। अधिनियम की धारा 19 जिसमें वे अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए प्रशासनिक

न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06.07.1994 को दिए गए निर्णय की सत्यता के बारें में आवेदन कर सकते है। उच्च न्यायालय ने के. अजीबाबू व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 1997(पूरक 3) एस सी आर 56 को सन्दर्भित किया। यह पता लगाने के लिए कि इस मामले में सहायकों की तरह स्थित व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली उचित प्रक्रिया और जिन्हें किसी पूर्व निर्णय का पक्ष नहीं बनाया गया था, जिसका उनके केरियर पर प्रभाव पडा था, को अधिनियम की धारा 19 के तहत एक आवेदन दायर करना था, उस निर्णय में इस न्यायालय ने देखा कि भले ही एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण का निर्णय केवल व्यक्तिगत रूप से एक निर्णय हो सकता है, कभी कभी यह रेम में एक निर्णय के रूप में भी काम कर सकता है और इससे प्रभावित लोगों को फिर से न्यायाधिकरण से सम्पर्क करने का अधिकार है। अधिनियम की धारा 19 के तहत आवेदन तब किया जाता है, जब वह पहले के निर्णय के परिणामस्वरूप प्रभावित होते है और पहले के निर्णय में लिए गए दृष्टिकोण पर पूर्ण विचार करने के हकदार होते हैं, इसके पश्चात उच्च न्यायालय ने माना कि सहायकों के पास अधिनियम की धारा 19 के ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर करने और उन्हें बिना किसी नोटिस के इसके द्वारा पारित पहले के फैसले पर पूर्ण विचार करवाने का अधिकार है और यह दिखाने के लिए कि उक्त आदेश पर पूर्ण विचार करने की आवश्यकता है या यह कानूनी या उचित नहीं था। हमे, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए तर्को को स्वीकार न करने का कोई

कारण दिखाई नहीं देता। आखिरकार, जिन सहायकों को पिछली कार्यवाही में पक्षकार नहीं बनाया गया था, उनके पास अपनी शिकायतें व्यक्त करने का एक रास्ता होना चाहिए। इस न्यायालय ने संकेत दिया कि वह रास्ता ट्रिब्यूनल के लिए एक दृष्टिकोण है और यह एक ऐसे मामले में था जिसमें वहीं अधिनियम शामिल था। इस न्यसायालय ने यह भी बताया था कि ऐसी स्थिति में प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या कर सकता है। यदि यह स्थिति नहीं होती, तो सहायक यह कहने में सक्षम होते कि चूँकि वे पिछली कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे, इसलिए वे इससे बाध्य नहीं थे और वे उसमें निर्णय को नजरअन्दाज करने के हकदार है और उक्त निर्णय उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता है। यह एक ऐसा निर्णय होगा जो प्राकृतिक न्याय के नियमों के गैर अनुपालन के लिए कानून में शून्य है, इसलिए, इस तर्क में कोई दम नहीं है कि सहायक अपनी शिकायत लेकर प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास नहीं जा सके थे और न्यायाधिकरण उनकी शिकायत पर विचार नहीं कर सका था या अपने पहले के फैसले पर पूर्ण विचार नहीं कर सका था। हम, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण व उसके द्वारा निकाले गए दृष्टिकोण से सहमत है, इसलिए इस विवाद को खारिज करने में कोई हिचकिचाहट नही है। यह तर्क कि उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बाद में मान्यता मिली, स्थिति को नहीं बदल सकता, क्योंकि जब उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार किया तो उसे ऐसा करने का क्षेत्राधिकार था और उसके पास यह विचार करने का भी

क्षेत्राधिकार था कि पूर्ववर्ती आदेश का क्या प्रभाव था और उससे पूर्व का आदेश इस न्यायालय के न्याय निर्णयन अजीत बाबू के मामले में कानूनी और उचित था।

6. यह भी तर्क दिया गया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06.07.1994 को ओदश पारित करना उचित था क्योंकि पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यताए अनुचित थी। आशुलिपिकों के अनुसार, नियमों में स्पष्ट रूप से दोहरी पदोन्नति का प्रावधान था और चूंकि सहायकों ने नियमों की वैधता को प्रशासनिक न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय या इस न्यायालय में चुनौती नहीं दी थी। इस संबंध में कर्मपाल व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य 1985(2) एससीसी 457 एवं मोहन सिंह व अन्य बनाम स्टेट ऑफ पंजाब व अन्य 1995(4) एस सी सी 151 के निर्णयों के आलोक में चुनौती नहीं दी जा सकती।

7. हम, उच्च न्यायालय से सहमत है कि जब प्रशासनिक न्यायाधिकरण में अपने दिनांक 06.07.1994 के आदेश में अपने स्वयं की योग्यता निर्धारित करने में अधिकार क्षेत्र से परे काम किया था, जबकि उसके अनुसार जो अनुचित प्रावधान थे, उन्हें रद्द कर दिया था। सबसे पहले पदोन्नति की योग्यता निर्धारित करने में कुछ भी अनुचित नहीं है, जैसा कि इस मामले में किया गया था और जैसा कि उच्च न्यायालय ने सही पाया था। दूसरे नियम भले ही निरस्त कर दिए जाए, तो यह प्रशासनिक

न्यायाधिकरण का काम नहीं था कि वह उस नियम को दुबारा लागू करें, जैसा उसने उचित समझा। एक बार जब यह निष्कर्ष आ गया और जैसा कि उस न्यायालय ने पाया है कि पदोन्नति के लिए प्रांसगिक नियमों में कोई अमान्यता नहीं पायी जा सकती है, तो इसका स्पष्ट परिणाम यह होगा कि आशुलिपिकों की सभी पदोन्नतियॉ अवैध हो गई, वास्तव में, उच्च न्यायालय ने अपने फैसलें में प्रांसगिक पहलुओं पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दिनांक 06.07.1994 का निर्णय सम्पोषण योग्य नहीं था। हम, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को दोहराना आवश्यक नहीं समझते हैं, जिसने जे. रंगास्वामी बनाम आन्ध्रप्रदेश सरकार व अन्य एआईआर (1990) एस सी 535 में इस न्यायालय के फैसले पर भी गौर किया है, हम उच्च न्यायालय के निष्कर्ष को स्वीकार करते हैं।

8. हमें, कुछ हद तक यह अटपटा लगता है कि कि वही उपाध्यक्ष, जिसने अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यायिक पक्ष में बैठे, नियम को रद्द कर दिया और आशुलिपिकों की पदोन्नति के लिए अपनी योग्यता निर्धारित की और प्रशासनिक पक्ष में उस निर्णय को लागू किया और आशुलिपिकों को पदोन्नत किया, यह बेहतर होता कि वे अध्यक्ष की नियुक्ति का इंतजार करते और प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पूर्व में जारी निर्देश को लागू करने की जिम्मेंदारी अध्यक्ष पर छोड़ देते, जो काम किया जाना है, उसे न केवल ठीक से किया जाना चाहिए बल्कि ठीक से किया हुआ, दिखाई भी

देना चाहिए लेकिन यह केवल आकस्मिक है और निर्णय के लिए आने वाले प्रश्न से इसकी कोई प्रांसगिकता नहीं है, सिवाय इस तर्क के कि उपाध्यक्ष के पास नियुक्ति करने की कोई शक्ति नहीं है, यदि यह आवश्यक हो गया तो इसका निस्तारण बाद में करेंगे।

9. यह कहना पर्याप्त है कि हम, उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से सहमत है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06.07.1994 को दिया गया निर्णय पूर्ण रूप से अस्थिर था और पदोन्नति का प्रश्न नियमों के आधार पर होना चाहिए, जैसा कि वे ट्रिब्यूनल द्वारा इसमें हस्तक्षेप करने से पूर्व थे।

10. इस प्रकार हम, आशुलिपिकों द्वारा दायर की गयी अपील में कोई योग्यता नहीं पाते और इस आधार पर उनकी पदोन्नति रद्द कर देते हैं कि उनके पास नियमों के अनुसार पदोन्नति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं थी।

11. अब हम, सहायकों द्वारा दायर अपीलों पर आते हैं, उनकी शिकायत यह है कि उच्च न्यायालय ने पाया कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दिनांक 06.07.1994 का आदेश सम्पोषण योग्य नहीं है और यह पाया कि उसके द्वारा नियमों में लाए गए संशोधन भी अवैध व अस्थिर थे, तो उसे उस निष्कर्ष को रद्द करके उस निष्कर्ष का पालन करना चाहिए था, सभी आशुलिपिकों की पदोन्नति और दोनों फीडर चैनलों को ध्यान मे रखते हुए

पदोन्नति के प्रश्न पर नए सिरे से विचार करने का आदेश देना चाहिए था। हम इस तर्क में काफी बल देखते है, उच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे आशुलिपिकों को रद्द करने का प्रयास किया, जिनके पास स्नातक की योग्यताए थी, जो नियमों द्वारा निर्धारित योग्यता है लेकिन यह पाते हुए कि पदोन्नति देने वाला आदेश ही गलत आधारों पर आधारित था और उसके निर्णय के आलोक में हस्तक्षेप की आवश्यकता थी, उच्च न्यायालय को अपने निष्कर्ष को प्रभावी करने से नहीं कतरना चाहिए था। आखिरकार, स्नातक आशुलिपिकों, यदि वे नियमों के अनुरूप पदोन्नति के हकदार है तो नए सिरे में की गयी प्रक्रिया से पदोन्नति सुरक्षित कर लेगे। हमनें यह भी संकेत दिया है कि उपाध्यक्ष द्वारा अपनाई गई पूरी पद्वति उचित नहीं थी और पदोन्नति अनुचित तरीके से की गयी थी, यह एक अनूठा निष्कर्ष था, इन सब के आलोक में हम, सोचते है कि न्याय के हित तभी सुरक्षित होंगे, जब प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा अपने न्यायिक पक्ष में बनाए गए नियमों के आधार पर की गयी आशुलिपिकों की सम्पूर्ण पदोन्नति को रद्द कर दिया जाएगा, उस हद तक हम, सहायकों द्वारा दायर अपील में तथ्य पाते हैं।

12. हमारा मानना है कि इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार दोनों संवर्गो के अधिकारियों को पदोन्नत करने की नई प्रक्रिया अपनाना ही उचित तरीका है लेकिन जैसा कि उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है

कि जिन आशुलिपिकों को पदोन्नत किया गया था और जिनकी पदोन्नति अब रद्द कर दी गई है, उन्हें पदोन्नत पदों पर प्राप्त उच्च वेतन व भत्तें वापिस करने के दण्ड से दण्डित करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सभी पदोन्नतियों को रद्द करते हुए नए सिरे से कार्यवाही करने के निर्देश देते हुए, हम निर्देश देते है कि आशुलिपिकों को उनके पदो पर काम करने की अवधि के संबंध में दिए गए वेतन से इस आधार पर कोई वसूली नहीं की जाएगी कि उनकी पदोन्नति अब रद्द कर दी गई है।

13. परिणामस्वरूप, हम 2003 की सिविल अपील सं. 7474-7477 को खारिज करतें है और 2003 की सिविल अपील सं. 7478-7481 को स्वीकार करते हैं। हम उच्च न्यायालय के फैसले की काफी हद तक पुष्टि करते हैं, लेकिन उस हिस्से को अलग रखते है, जिसमें उसने स्नातक आशुलिपिकों की पदोन्नति को रद्द करने से इन्कार किया है। हम संबंधितों द्वारा नियमों के अनुसार योग्य लोगों की पदोन्नति के संबंध में यथाशीघ्र नए सिरे से कार्यवाही करने कानिर्देश देते हैं, हम निर्देश देते है कि उन आशुलिपिकों को दिए गए वेतन व भत्तों से कोई वसूली नहीं की गयी है, जिनकी पदोन्नति उच्च न्यायालय व हमारे द्वारा रद्द की गयी है, जबकि उन्होनें अपने पदोन्नत पदों पर काम किया है। पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे इस न्यायालय में अपने-अपने खर्चे वहन करेंगे।

तदनुसार 2003 की सिविल अपील सं. 7474-7477 खारिज एवं 2003 की सिविल अपील सं. 7478-7481 स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी वीरेन्द्र कुमार जसुजा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।